कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव) की बैठक सं0 71/2000 दिनांक 22-8-2000 को सायं 4.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

1- श्री के.पी. सिंघल, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री एस. सैन, निदेशक (आयोजना) जविप्रा,जयपुर ।
3- श्री जी.बी. पाण्डे, निदेशक (विधि) जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री पी.आर. शर्मा, निदेशक (वित्त) जविप्रा, जयपुर ।
5- श्री एस.एल. माथुर, निदेशक (अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।
6- श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(कॉपरेटिव)जविप्रा,जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1- श्री पी.एस. राठौड़, उपायुक्त,जोन ए-1, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री प्रेमशंकर, सप नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा,जयपुर ।
5- श्री अनन्त देव टांक, सहायक नगर नियोजक,ए-1, जविप्रा, जयपुर ।

(1) विभिन्न उपायुक्त जोन्स द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये -

1.1- एजेण्डा सं0 71/2000- 1 :- गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेश नगर (जोन बी-2) :-

गणेश नगर के भूखण्ड सं0 5/7 के वाणिज्यिक रूपान्तरण किये जाने के संबंध में चर्चा की गयी । उपायुक्त, बी-2 द्वारा इस प्रकरण के समस्त तथ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये । समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न निर्णय लिये गये -

1. बीपीसी-11(सीपीसी) के द्वारा गठित सब कमेटी की रिपोर्ट क्रमांक: जविप्रा/वननि(सीपी)/95/डी-45 दिनांक 18-7-95 में समिति के द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार खसरा नं0 334, 335 व 1 पर सृजित योजना के लिए जो मानचित्र तकनीकी रूप से दिनांक 13-3-84 को अनुमोदित किया गया था उसके आधार पर कार्यवाही की जावे । इन खसरा नम्बरों के अलावा अन्य भूमि पर जो योजना सृजित की गयी है उस

...2

13

पर विचार नहीं किया जाये ।

2· इस मानचित्र में जो भूखण्ड़ सं0 7 दर्शाया गया है उसका मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्ड़ सं0 परिवर्तित कर 5 किया जाये ।

3· इस भूखण्ड़ के आगे पूर्व में जो दुकाने अनुमोदित नहीं की गयी थी उस भूखण्ड़ को भी इस भूखण्ड़ का भाग माना जाये ।

4· मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस सड़क पर सड़क सीमा के बाहर 32 मीटर गहराई तक भू उपयोग वाणिज्यिक है । अत: सड़क के मध्य से 50 फिट छोड़कर 32 मीटर तक वाणिज्यिक रूपान्तरण किया जा सकता है । तदनुसार भूखण्ड़ सं0 5 को वाणिज्यिक स्वीकृति दी गयी ।

1·2- एजेण्ड़ा सं0 71/2000-2 :- ज्योति जगजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शहर हाउस ﴾जोन ए-1﴿ :-

उपायुक्त, जोन ए-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर यह तथ्य उभर कर आया कि 20-12-83 को अनुमोदित योजना में भूखण्ड़ सं0 16, 17, 18 एवं शहर हाउस भवन का भाग व शहर हाउस भवन के उत्तर में स्थित 30 फिट की रोड़ जो भूमि बेचान की गयी उसका भाग नहीं था । अत: बाद विचार-विमर्श यह निर्णय लिया गया था कि भूखण्ड़ सं0 16, 17, 18, शहर हाउस भवन का भाग एवं शहर हाउस भवन के उत्तर में स्थित 30 फिट की रोड़ को पूर्व में अनुमोदित योजना से अलग कर दिया जाये और तदानुसार संशोधित योजना मानचित्र जारी किया जाए।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

[signature]

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय﴾कॉपरेटिव﴿
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: BPC II CR CO-op /55/4/9/2000
दिनांक :

प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त,जविप्रा,जयपुर ।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3- निदेशक﴾आयोजना﴿/﴾विधि﴿/﴾वित्त﴿/﴾अभियांत्रिकी﴿जविप्रा,जयपुर ।
4- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक,जोन ए-1 एवं बी-2, जविप्रा,जयपुर ।
3- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर ।

[signature]

सदस्य सचिव
बीपीसी-II ﴾कॉपरेटिव﴿